

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016—आश्विन 29, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016

के राज्यपाल, जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

क्र. ई-1-320-2016-5-एक.—श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

01	11 जुलाई 2016 से दिनांक 16 जुलाई 2016 तक.	06	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—
----	---	----	-----------------------------------	---

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ 5-17-2015-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02	16 अगस्त 2016 से दिनांक 26 अगस्त 2016 तक.	11	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2016 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 27 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 1(ए) 85-99-ब-2-दो.—श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8-9 एवं 15-16 अक्टूबर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ पोर्टब्लेयर की अवकाश यात्रा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री वेद प्रकाश शर्मा	स्वयं
2	श्रीमती पुष्पांजली शर्मा	पत्नी
3	श्री वेदार्थ शर्मा	पुत्र

(2) अवकाश अवधि में श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. का चालू कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 1-अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अभिषेक सोनी, अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 4 अक्टूबर 2016 से 3 अक्टूबर 2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों (राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 27 फरवरी 2013) में उल्लेखित शर्तों के अधधीन होगी.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-3076-2016.— अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 30 जनवरी 1990 को, जहां तक उसका संबंध नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, उक्त जिलों के उन्हीं सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	जिला
(1)	(2)
1	बड़वानी
2	बालाघाट

F.No. 1-2-90-XXI-B(One)-3076-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90-XXI-B(One), dated 30th January 1990, so far as it relates to the establishment of the Special Court in the districts mentioned in column (2) of the table below, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specifies the said Courts of Sessions as Special Courts to try the offenses under the said Act, namely :—

TABLE

(1)	(2)	S.No.	District
		(1)	(2)
3	भिण्ड		
4	भोपाल		
5	छिंदवाड़ा		
6	दमोह		
7	दतिया		
8	देवास		
9	धार		
10	गुना		
11	ग्वालियर		
12	हरदा		
13	होशंगाबाद	1	Badwani
14	इंदौर	2	Balaghat
15	जबलपुर	3	Bhind
16	झाबुआ	4	Bhopal
17	कटनी	5	Chhindwara
18	खंडवा	6	Damoh
19	मंडला	7	Datia
20	मंदसौर	8	Dewas
21	नरसिंहपुर	9	Dhar
22	नीमच	10	Guna
23	पन्ना	11	Gwalior
24	रायसेन	12	Harda
25	राजगढ़	13	Hoshangabad
26	रतलाम	14	Indore
27	रीवा	15	Jabalpur
28	सतना	16	Jhabua
29	सीहोर	17	Katni
30	सिवनी	18	Khandwa
31	शहडोल	19	Mandla
32	शाजापुर	20	Mandsaur
33	श्योपुर	21	Narsinghpur
34	शिवपुरी	22	Neemuch
35	सीधी	23	Panna
36	टीकमगढ़	24	Raisen
37	उज्जैन	25	Rajgarh
38	(पश्चिम निमाड़) मंडलेश्वर.	26	Ratlam

(1)	(2)
27	Rewa
28	Satna
29	Sehore
30	Seoni
31	Shahdol
32	Shajapur
33	Sheopur
34	Shivpuri
35	Sidhi
36	Tikamgarh
37	Ujjain
38	(West Nimar) Mandleshwar.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)3250-16.— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“8 क	षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल.”

(दो) अनुक्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“22क	चौदहवें अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर.”

(तीन) अनुक्रमांक 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“24	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.	झाबुआ.”

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)3250-16.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 6th November 2009, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule,

(i) after serial number 8 the following serial number shall be inserted, namely:—

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“8A.	VIIth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal.”

(ii) after serial number 22, the following serial number shall be inserted, namely:—

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“22A.	XIVth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore.”

(iii) For serial number 24, and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“24.	Ist Additional Sessions Judge, Jhabua.	Jhabua.”

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक) 3655-16.— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"10.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर."

फा. क्र. 17 (ई)-83-03-इक्कीस-ब (एक)-3684-016.— विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	अलीराजपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र."

F. No. 1-1-88--XXI-B(1) 3655-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 6th November 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial Number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"10.	Ist Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur."

F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(One)-3684-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)-83-

03-XXI-B(One), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special court (According to electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Alirazpur	Sessions Judge, Alirazpur	Electricity Area of Alirajpur."

भोपाल, दिनांक 07/13 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 17(ई) 83/03-इक्कीस-ब (एक)-3684-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 4, 25, 31, 44-ए, 58, 60, 63, 80, 82, 99, 109 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.
4	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.	श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
25	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा	श्री ठाकुर दास, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा
31	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर	श्री राकेश कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.
44-ए.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी	श्री आर.सी.एस. बिसेन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.
58	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ.
60.	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.

(1)	(2)	(3)	(4)
63	मुरैना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	श्री जाकिर हुसैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
80	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर.	श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर.
82	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रहली	श्री अंजनी नंदन जोशी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश रहली.
99	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश करेरा.
109	विदिशा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज.	श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज.
110.	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.

F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(one)-3684-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment's in this Department's Notificateion F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial numbers 1, 4, 25, 31, 44-A, 58, 60, 63, 80, 82, 99, 109 and 110 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirazpur	Sessions Judge, Alirazpur	Shri Rajendra Kumar Verma, Sessions Judge, Alirazpur.
4	Ashoknagar	1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Shri Anand Priya Rahul 1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar.
25	Manawar, Dhar	Additional Sessiona Judge, Manawar.	Shri Rakesh Kumar Jain Additional Sessions Judge, Manawar.
31	Sewdha, Datia	Additional Sessions Judge, Sewdha.	Shri Thakur Das, Additional Sessions Judge, Sewdha.
44-A	Itarsi, Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Itarsi.	Shri R. C. S. Bisen, Additional Sessions Judge, Itarsi,
58.	Garoth, Mandsaur	Additional Sessions Judge, Garoth.	Shri Shashendra Singh Thakur, Additional Sessions Judge, Garoth.
60.	Morena	IInd Additional Sessions Judge, Morena.	Shri Ramesh Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Morena.

(1)	(2)	(3)	(4)
63.	Jora Morena	1 st Additional Sessiona Judge, Jora.	Shri Zakir Hussain 1 st Additional Sessiona Judge, Jora.
80.	Sagar	Additional Sessiona Judge, (Special Court No. 10 under Electricity Act, 2003) Sagar.	Shri Sunil Kumar Jain (Sr.), Additional Sessiona Judge, (Special Court No. 10 under Electricity Act, 2003) Sagar.
82.	Rehli, Sagar	Additional Sessiona Judge, Rehli	Shri Anjani Nandan Joshi, Additional Sessiona Judge, Rehli.
99.	Karera, Shivpuri	Additional Sessiona Judge, Karera	Shri Anoop Kumar Tripathi, Additional Sessiona Judge, Karera.
109.	Sironj, Vidisha	1st Additional Sessiona Judge, Sironj	Shri Dinesh Kumar Singh, 1st Additional Sessiona Judge, Sironj.
110.	Mandleshwar	1st Additional Sessiona Judge, Mandleshwar.	Shri Vivek Singh Raghuvanshi, 1st Additional Sessiona Judge, Mandleshwar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 7-33-2001-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 18 के अधधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री शंकर लालवानी, निवासी इन्दौर को आगामी आदेश तक इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यलय, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. 24131-एस. डब्लू-2016.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.

अतः, जिला स्तरीय समिति एवं होशंगाबाद जिले के माननीय प्रभारी मंत्री होशंगाबाद के अनुमोदन एवं अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों/मोहल्लों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए कालम नं. 02 में अंकित ग्राम/कस्बा/मोहल्ला को कालम नं. 04 में अंकित थाना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-

क्र.	ग्राम/कस्बा/मोहल्ला	वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत	प्रस्तावित थाना क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	भोपाल तिराहा से रसूलिया डबल फाटक तक रेल्वे पटरी के अंदर का क्षेत्र (हरदा बायपास तिराहा से एसपीएम अंदर का क्षेत्र).	थाना-देहात होशंगाबाद	थाना-कोतवाली होशंगाबाद

(1)	(2)	(3)	(4)
02.	शांति नगर, नारायण नगर, तिवारी कालोनी, मंडी, तवा कालोनी, समृद्धि नगर (नाले से नारायण नगर रेल्वे पटरी तक का क्षेत्र).	थाना-कोतवाली होशंगाबाद	थाना-देहात होशंगाबाद
03.	ग्राम-बम्होरी	थाना-देहात होशंगाबाद	थाना-डोलरिया
04.	ग्राम-सांगाखेड़ा कला, छोटी बालाभेंट, बड़ी बालाभेंट, चपलासर, मगरिया, चाँदला, साकेत, कढ़ैया, गोरा, चीलाचौल, गुड़ला.	थाना-बाबई	थाना-देहात होशंगाबाद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. 5081-री-1-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 04-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मंदसौर-सीतामड मार्ग के रेलवे समपार क्रमांक 152 सीतामड फाटक पर आर. ओ. बी. के लिये ग्राम टोड़ी तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 81 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए 3 वर्ष हेतु अस्थायी रूप से आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम : टोड़ी	स. क्र.	विवरण	तहसील मंदसौर		
			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	ग्राम टोड़ी	0.930	0.004	0.934	

मंदसौर जिले के ग्राम टोड़ी पर डायवर्शन पहुँच मार्ग हेतु.

अनुसूची-2

मंदसौर जिले के ग्राम टोड़ी पर डायवर्शन पहुँच मार्ग में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित (हे. में.)	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुक्ता पिता श्रीकांत गुप्ता	08	0.052	-	0.002	0.002
		32	1.453	0.150	-	0.150
		200	0.930	0.150	-	0.150
		198	0.714	0.100	-	0.100
		196	3.532	0.040	-	0.040
2	पुजा पिता श्रीकांत गुप्ता	44	2.278	0.190	-	0.190
		31	0.157	-	0.002	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		30	1.275	0.110	-	0.110
		202	0.951	0.070	-	0.070
3	भैरूलाल ताराचंद	223	2.341	0.050	-	0.050
4	मांगीदेवी बड़ी मिन्नी देवी व शांतादेवी पत्नि नत्थूसिंह ब्राम्हण	224	0.334	0.020	-	0.020
5	विमलकुमार पिता शौभागमल पामेचा	235/3	1.045	0.050	-	0.050
योग :				0.930	0.004	0.934

(1) अस्थाई रूप से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का नक्शा न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) उक्त सूचना प्रकाशन से किसी को कोई आपत्ती हो तो एक सप्ताह के अन्दर भू-अर्जन अधिकारी को पेश कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्रकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. 2240-म.टो-भू-अभि.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व इससे पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर
(1) कानासैया प.ह.नं. 20 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1145.975 हे.	(2) कानासैया प.ह.नं. 20 (मूलग्राम)

क्र. 2240-म.टो-भू-अभि.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम एवं इससे व पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर हल्का नंबर
(1) परवलिया सड़क प.ह.नं. 3 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-678.537 हे.	(2) परवलिया सड़क प.ह.नं. 3 (मूलग्राम)

क्र. 2240-म.टो.-भू-अभि.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व नम्बर एवं इससे पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर
(1)	(2)
तूमड़ा	तूमड़ा
प.ह.नं. 36	प.ह.नं. 36
पृथक् किया गया	(मूलग्राम)
क्षेत्रफल-1198.161 हे.	

क्र. 2240-म.टो.-भू-अभि.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व नम्बर पटवारी हल्का, पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
बालमपुर	बालमपुर
प.ह.नं. 17	प.ह.नं. 17
पृथक् किया गया	(मूलग्राम)
क्षेत्रफल-1576.065 हे.	

क्र. 2240-म.टो.-भू-अभि.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम एवं इससे व पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर
(1)	(2)
पुरा छिदवाड़ा	पुरा छिदवाड़ा
प.ह.नं. 01	प.ह.नं. 01
पृथक् किया गया	(मूलग्राम)
क्षेत्रफल-501.637 हे.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी नर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 968.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 123/10 एवं व्यापारी प्रतिनिधि वार्ड के उप-निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री रामू मांझी पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह उर्फ रघू	कृषक सदस्य	ग्राम भैसनारी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर.
2	श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व. श्री गोपाल गोयल	व्यापारी सदस्य	गीता टॉकिज चौराहा सुभाषगंज, डबरा, जिला ग्वालियर.

संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.)

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़ दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. 340-स्था. निर्वा.-2016.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत राजगढ़ जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	कृषि उपज मण्डी समिति, पचोर	श्री घनश्यामदास आत्मज श्री भंवरलाल अग्रवाल, पचोर, जिला राजगढ़.	11(1)(घ)
2	कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावरा	श्री बनेसिंह आत्मज श्री रोड़जी लववंशी ग्राम सीलखेड़ा तह. ब्यावरा, जिला राजगढ़	11(1)(घ)
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नरसिंहगढ़	श्री शंकरसिंह आत्मज श्री शिवलाल गुर्जर, ग्राम कुराड़िया खेड़ी, तह. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.	11(1)(घ)

तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र.-स्टेनो-अ.वि.अ.-2016.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 के प्रावधानों अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं अनिल कुमार चांदिल, अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर के लिये “मध्यप्रदेश” में इस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति का गठन करता हूँ:—

उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति, उपखण्ड, अशोकनगर

अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अशोकनगर
अ. जा./अ. ज. जा. के तीन सदस्य.—

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | श्रीमति लक्ष्मीबाई, निवासी ग्राम म्यांपुर, मोबा. नं. 9630695610 | सदस्य |
| 2. | श्रीमति कमलाबाई, निवासी ग्राम नारायणपुर, मोबा. नं. 8349602149 | सदस्य |
| 3. | श्रीमति अनुराधा जाटव, निवासी ग्राम मारूप, मोबा. नं. 7024038786 | सदस्य |

सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य.—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बीरेन्द्र कुमार,
निवासी अशोकनगर, मोबा. नं. 9425767906 | सदस्य |
| 2. | श्री विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मथुरा प्रसाद शर्मा,
निवासी दुबे कालोनी, अशोकनगर, मोबा. नं. 9425196110 | सदस्य |

शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के दो सदस्य.—

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | तहसीलदार, तहसील अशोकनगर, मोबा. नं. 9425408176 | सदस्य |
| 2. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अशोकनगर | सदस्य |

वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य.—

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अशोकनगर | सदस्य |
|----|---|-------|

ए. के. चांदिल, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर
(महू) जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र. 2307-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 7-अ-82-2015-16.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1325/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	महू	चौरल, प.ह.नं.-28	62/1	0.080
			62/3	0.132
			62/2	0.053
			63/1/2	0.070
			67/3	0.112
			68	0.136
			69/1	0.045
			69/2	0.056
			69/3	0.056
			70/1	0.062
			70/4	0.062
			70/5	0.059
			73	0.059
			77/2	0.350
			75	0.062
			77/1	0.035
			78/1/मीन-1	0.035
78/1/मीन-2	0.048			
78/1/मीन-3	0.110			
79/2	0.070			
79/3	0.092			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			80/1	0.084
			82/1/2	0.185
			82/2	0.022
			106/2	0.229
			107/1	0.120
			107/2	0.120
			110	0.176
			कुल योग . .	<u>2.720</u>

क्र. 2310-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 9-अ-82-2015-16.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1324/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	महू	पानदा, प.ह.नं.-01	156/2	0.031
			156/3	0.013
			270	0.145
			161/3	0.044
			162/1	0.004
			163/8	0.011
			163/6	0.075
			163/1	0.037
			163/7	0.075
			170/2/ख	0.167
			268	0.013
			170/5	0.150
			171/3/2	0.271
			271/2	0.039
			283/1	0.018
			275	0.163
			284/1	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			284/5	0.092
			285	0.048
			286/1	0.004
			302/3	0.075
			302/8	0.040
			302/9	0.079
			302/11/1	0.032
			302/11/2	0.032
			302/12	0.099
			302/15	0.044
			302/16	0.048
			311/2	0.066
			313	0.154
			314	0.185
			कुल योग . .	2.262

क्र. 2313-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 6-अ-82-2015-16.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1326/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरखोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	महू	नावदा, प.ह.नं.-01	266/2	0.053
			267	0.088
			268	0.070
			296/1	0.079
			296/2	0.068
			307/1	0.013
			307/2	0.092
			307/3	0.123
			308/1	0.070
			304	0.003
			कुल योग . .	0.659

संदीप जी. आर., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 जून 2016

प्र. क्र. 095-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	अमानगंज	सिमरी सूरत.	निजी भूमि रकबा 2.563 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.063 है. कुल रकबा 2.626 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2016

पत्र क्र. 296-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रीवा	सिरमौर	माला	0.712	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 297-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बहिवार	(4) 0.115	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 298-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) सौर	(4) 0.975	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 299-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) फूल नं. 2	(4) 0.048	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 300-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) जोड़ौरी	(4) 0.863	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 301-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) फूल नं. 1	(4) 0.864	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 302-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) पुरवा	(4) 0.437	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 303-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) रौरा	(4) 0.421	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 304-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) हटवा	(4) 1.684	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 305-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) देवास	(4) 0.897	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 306-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	लालगांव	0.650	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 308-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बैकुंठपुर	0.187	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 30 अगस्त 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	बाबई	बागरा मानागांव	1.087	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.	बागरातवा स्टेशन से सोनासांवरी तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—बागरातवा स्टेशन से सोनासांवरी तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर	हेक्टर्स में रकबा (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	रोन	इन्दुरखी	8/3014	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.	गोरई-अड़ोखर मार्ग के
			17	0.05	सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी
			18	0.01		पर स्थित उच्चस्तरीय पुल
			35/1 क	0.10		एवं पहुंच मार्ग के निर्माण
			35/1 ख	0.06		हेतु.
			35/2	0.01		
			35/3	0.02		
			42/1	0.04		
			42/2	0.18		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			63/5	0.08	
			63/6	0.16	
			63/7	0.02	
			63/8	0.06	
			64/2	0.02	
			57	0.13	
			58	0.17	
			59	0.19	
			60	0.01	
			योग . .	1.35	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण			धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हे. में. सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
भिण्ड	रोन	बहादुरपुरा	1082	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर. बहादुरपुरा-अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			1085	0.04	
			1163	0.07	
			1165	0.15	
			1167/1918		
			1167	0.06	
			1168	0.11	
			1166	0.01	
			योग . .	0.48	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार के कार्यालय, में देखा जा सकता है।

भिण्ड, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार

नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण		संपत्ति का विवरण		धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हे. में. सर्वे नम्बर	हे. में. अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	मेहगांव	कछार	85	0.14	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	गोरई-अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			87	0.10		
			158	0.05		
			160	0.11		
			159	0.01		
			155	0.01		
			156	0.07		
			164	0.06		
			166	0.10		
			310	0.07		
			170	0.02		
			309	0.03		
			157	0.02		
			योग . .			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेहगांव के कार्यालय, में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 4006-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	लालबर्गा	धरपीवाडा	रकबा 0.173 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.	बडगुड नाले पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

बालाघाट, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. 4059-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा वाटरकोर्स निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				नगर/ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	अमई	रकबा 0.252 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	वाटरकोर्स निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4060-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मायनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				नगर/ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	दैतबरी	रकबा 3.615 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4061-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मायनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3)

के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	खडगपुर	रकबा 0.211 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 15 सितम्बर 2016

प. क्र. 8210-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके

द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न./ रा.नि.म.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	सीरदिवान	0.041	उपमुख्यता अभियंता (निर्माण) द. पू.म. रेलवे, नागपुर.	छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.
	रा.नि.म. सिवनी.	प.ह.नं. 104/56			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. 6300-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	रकबा लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	कोतमा	निजी भूमि का रकबा (हे.)		भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.	पिपरिया जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
		जोगीटोला	5.229		
		पिपरिया	24.843		
		बरगवाँ	66.643		
		बेलियाबड़ी	83.559		
		योग	180.274		
		शासकीय भूमि का रकबा (हे.)		भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.	पिपरिया जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
		जोगीटोला	5.820		
		पिपरिया	2.420		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		बरगवाँ	5.980		
		बेलियाबड़ी	4.680		
		योग . .	18.90		
		महायोग . .	199.174		
अनूपपुर	कोतमा	निजी भूमि का रकबा (हे.)		भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.	पिपरिया जलाशय योजना नहर कार्य.
		जोगीटोला	6.675		
		पिपरिया	5.174		
		सकोला	3.188		
		देवगवाँ	2.912		
		बेलियाबड़ी	2.775		
		चटहाटोला	2.665		
		धुम्मा	6.805		
		योग . .	30.194		
		शासकीय भूमि का रकबा (हे.)		भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.	पिपरिया जलाशय योजना नहर कार्य.
		धुम्मा	0.460		
		पिपरिया	0.240		
		योग . .	0.700		
		महायोग . .	30.894		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर/तहसील कोतमा के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

पत्र क्र. भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा- 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दमोह	पथरिया	कोडरमणी	53.88	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर
		केवलारी	73.43	परियोजना सर्वेक्षण संभाग
		डूंडा	216.15	हटा मुख्यालय दमोह (म.प्र)
		सांसा	34.97	
		योग . .	378.43	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 08-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	छतरपुर	आमखेरा	4.090	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर
				तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	छतरपुर	नदनपुर	8.800	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर
				तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	कीरतपुरा	15.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश, भू-अर्जन अधिकारी, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प. क्र. 1171-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना अआमजन, व्यापक, दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. सह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण समाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	बड़खरा-739	2.919	उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी तहसील-चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अगस्त 2016

प्र. क्र. 065-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—पिपरवाह, प.ह.नं.

(घ) क्षेत्रफल—9.786 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)भूमि का
प्रकार

(1)

(2)

(3)

533

1.725

निजी भूमि

631

0.070

निजी भूमि

641

0.230

निजी भूमि

642

0.130

निजी भूमि

710

0.050

निजी भूमि

721

1.160

निजी भूमि

746

0.130

निजी भूमि

762

0.170

निजी भूमि

763

0.200

निजी भूमि

1633/768

0.210

निजी भूमि

779

0.477

निजी भूमि

839

0.100

निजी भूमि

(1)

(2)

(3)

841/1

0.008

निजी भूमि

840/1

0.005

निजी भूमि

837/1

0.204

निजी भूमि

836/1

0.100

निजी भूमि

864/1

0.240

निजी भूमि

868/1

0.005

निजी भूमि

835

0.010

निजी भूमि

870

0.096

निजी भूमि

903/1

0.043

निजी भूमि

903/2

0.043

निजी भूमि

886/2

0.150

निजी भूमि

902/1

0.195

निजी भूमि

891

0.018

निजी भूमि

892/3

0.216

निजी भूमि

901

0.057

निजी भूमि

887/1

0.100

निजी भूमि

887/4

0.100

निजी भूमि

887/2

0.100

निजी भूमि

887/3

0.100

निजी भूमि

888

0.030

निजी भूमि

889

0.030

निजी भूमि

890

0.030

निजी भूमि

886/1

0.150

निजी भूमि

885

0.180

निजी भूमि

892/2क

0.070

निजी भूमि

892/2ख

0.070

निजी भूमि

892/2ग

0.070

निजी भूमि

1481/2

0.010

निजी भूमि

1479

0.330

निजी भूमि

1478

0.060

निजी भूमि

1391

0.200

निजी भूमि

1392

0.010

निजी भूमि

1386

0.310

निजी भूमि

1385

0.016

निजी भूमि

1384

0.115

निजी भूमि

1383

0.014

निजी भूमि

1381

0.034

निजी भूमि

1377

0.160

निजी भूमि

1373

0.014

निजी भूमि

1370/1/क

0.135

निजी भूमि

1372/1

0.014

निजी भूमि

1372/2

0.010

निजी भूमि

1370/1/ख

0.010

निजी भूमि

1359

0.270

निजी भूमि

1360

0.016

निजी भूमि

1341

0.030

निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
1361	0.150	निजी भूमि	151	0.409
1343	0.160	निजी भूमि	152	1.308
1342	0.014	निजी भूमि	153/1/4	0.405
1328	0.220	निजी भूमि	153/2	1.011
1330	0.013	निजी भूमि	153/5	2.023
1327/1	0.013	निजी भूमि	154/3	0.149
1326/1	0.220	निजी भूमि	154/4	0.498
1329	0.006	निजी भूमि	155	4.960
1331	0.160	निजी भूमि	156/3	1.640

कुल रकबा निजी भूमि . . . 9.786

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 17-अ-82-2015-2016-4143.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—अमहाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल— (निजी भूमि) 14.973 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
149/1	0.235
149/2	0.230
150	0.870

156/9	0.201
118	0.010
146	0.113
131/1/2	0.041
131/1/3	0.061
131/1/4	0.020
131/1/6	0.041
133/3	0.101
139	0.061
136	0.181
137	0.101
141/1/1/ख	0.051
141/1/1/क	0.051
141/1/2	0.101
141/1/3	0.081
141/1/4	0.020

कुल रकबा . . . 14.973

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अमहाटोला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-2015-16-4285.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—मोहतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल— (निजी भूमि) 0.483 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
233/2	0.065
231	0.035
214/1	0.025
213/1	0.015
210/1	0.020
211	0.045
207	0.040
214/4	0.040
232	0.025
230	0.020
214/2	0.025
213/2	0.015
210/2	0.020
206	0.025
213/4	0.068
कुल रकबा . . 0.483	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-2015-16-4286.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—तितरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल— (निजी भूमि) 2.249 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1721	0.100
1726/2	0.385
2066/1	0.300
2069/1	0.030
2074	0.168
2055/3	0.070
2051/2	0.035
1726/1	0.100
1728	0.599
2066/2	0.300
2072	0.032
2069/3	0.020
2053/2	0.040
2051/1	0.070
कुल रकबा . . 2.249	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है—शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2015-16-4287.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—खैरहनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 3.470 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
606	0.025
120/2/क	0.080

(1)	(2)	(1)	(2)
203/1	0.010	610/2	0.010
205/1	0.050	607	0.020
207/1	0.040	463	0.025
181/1	0.010	462	0.015
108/2	0.010	457/1	0.020
65	0.020	457/2	0.020
66	0.050	120/4	0.020
67/2	0.030	612/2	0.010
638/1	0.020	613/2	0.030
640/2	0.010	476/2	0.020
612/1	0.010	106/2/क	0.010
612/5	0.010	664	0.090
613/1	0.030	641	0.090
106/1/क/2	0.010	612/3	0.010
540/2	0.080	674/2	0.060
172/2	0.025	675	0.020
187	0.040	491/1	0.010
478/1/ख	0.015	495	0.030
476/1	0.020	284	0.040
678	0.050	189/1	0.020
271	0.015	464	0.020
272	0.100	122/2	0.010
285	0.030	108/3	0.010
106/2/ख	0.010	330	0.120
67/1/ख	0.030	327	0.010
467	0.030	328	0.030
188	0.035	323	0.040
643	0.080	67/1/क	0.030
186	0.010	338/2	0.030
639	0.030	438	0.055
640/1	0.010	457/3	0.020
478/1/क	0.020	665	0.015
120/5	0.015	612/4	0.010
203/2	0.020	503	0.010
205/2	0.050	189/2	0.020
207/2	0.040	638/2	0.020
181/2	0.015	342	0.080
490	0.020	106/3	0.010
491/2	0.010	532	0.020
502	0.010	534/2	0.025
108/5	0.010	661	0.030
338/1	0.030	281	0.080
474	0.020	170	0.040
169	0.030	666	0.040
343	0.020	667	0.020
340	0.030	673	0.080
280	0.040	106/1/क/1	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
471	0.030	4/1	0.283
122/4	0.010	132	0.129
534/1	0.020	131/2	0.313
265	0.010	131/3	0.312
320	0.020	6/1	0.041
273	0.040	6/3	0.144
470	0.060	6/5	0.061
274	0.040	130	1.594
540/1	0.080	134/613/1	0.081
478/2	0.020	135/1	1.093
646	0.040	137	0.933
531/2/ख	0.030	4/4	0.275
324	0.010	131/1	0.313
494	0.010	4/2	0.283
105/2/क	0.060	4/3	0.182
122/3	0.010	4/5	0.405
105/2/ख	0.060	6/2	0.061
120/3	0.020	6/4	0.061
644	0.020	6/6	0.061
120/2/ख	0.020	134	0.825
कुल रकबा . .	3.470	136/1	0.101
		135/2	1.023

कुल रकबा . . 8.833

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2015-16-4288.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—डोगरिया टोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 8.833 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.259

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-82-2015-16-4289.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—शाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 27.097 हेक्टर एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
103/1	2.043
104	0.129

(1)	(2)	(1)	(2)
105	0.117	177/2	0.091
106	0.223	180/2	0.199
107	0.219	186/2	0.168
108	0.142	289/3	0.077
109	1.200	118/1	0.100
110	0.855	187/1	0.387
128	0.093	340/1	0.041
305/5	0.019	165/1	0.100
307/5	0.023	171/1/क	0.461
329/1	0.115	172	0.308
187/2	0.286	173/1	0.073
340/3	0.041	175/2	0.174
124/3	0.202	305/1	0.072
290/2	0.032	305/6	0.019
305/2	0.018	307/1	0.023
307/2	0.023	113/1	0.624
181	0.125	92/1	0.700
320/382	0.146	94	0.632
113/2	2.023	95	0.120
116	1.352	96	0.120
164/372	0.162	164	0.062
169	0.053	178	0.128
170	0.210	330/383	0.426
185	0.312	331	0.344
305/4	0.018	176	0.210
307/4	0.023	179	0.267
290/1	0.032	330/1	0.607
186/1	0.168	333/1	0.100
289/1	0.154	327/1	0.320
171/1/ख	0.506	327/2	0.040
173/2	0.024	334/1	0.041
175/1	0.223	334/2	0.041
88	0.080	305/3	0.018
89	0.336	307/3	0.023
87/1	0.772	307/6	0.023
91/1	0.930	329/2	0.115
93	0.089	124/2	1.214
330/2	0.607	90/1	3.214
87/2	0.567	340/2	0.041
177/1	0.091		
180/1	0.198		
289/2	0.077		
174	0.134		
330/384	0.182		
		कुल रकबा . .	27.097

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 28 सितम्बर 2016		(1)	(2)
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-4345.—चूँकि,		623/726	0.015
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई		621	0.010
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में		624	0.010
उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः		625	0.020
“भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और		627	0.012
पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013)		631	0.012
की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है		630	0.015
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		615	0.010
अनुसूची		616	0.010
(1) भूमि का वर्णन—		628	0.010
(क) जिला—शहडोल		629	0.010
(ख) तहसील—गोहपारू		653	0.101
(ग) ग्राम—दियापीपर		673/2	0.015
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 17.378 हेक्टर एवं		673/3	0.015
सम्पत्ति.		673/5	0.025
खसरा	रकबा	683/2	0.030
नम्बर	(हेक्टर में)	684/2	0.015
(1)	(2)	688/5	0.020
697/1ख	0.809	669/2/1	0.012
697/1ग	1.619	668	0.012
697/4	1.516	689/731/2	0.020
697/1घ	1.619	688/3	0.015
697/2	2.428	540	0.020
697/3/1	0.705	541	0.010
698/1	1.011	542/1	0.020
299/2	0.460	635	0.015
299/7	0.450	695/3/क	0.020
697/5	3.237	695/2	0.024
698/2	1.348	695/3/ख	0.021
698/3	1.121	652/2	0.010
532/1क	0.010		
696/4	0.180		
699/3ख	0.180		
509	0.015		
506	0.012		
534/1	0.010		
502	0.010		
537/1	0.035		
622	0.010		
623	0.012		
537/2	0.015		
636	0.012		
		कुल रकबा . . .	17.378
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दीयापीपर	
		जलाशय योजना के निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी	
		(राजस्व), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	
		संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया	
		जा सकता है.	
		क्र. दस-भू-अर्जन-फा.-13-अ-82-2015-16-4346.—चूँकि,	
		राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	
		अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में	
		उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः	
		“भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और	

पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—गोहपारू
(ग) ग्राम—बरमनियां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 11.916 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
2	1.214
7	0.773
6	0.070
8	1.942
15/1	0.093
13	0.134
15/2	0.061
17	4.047
19/3	0.039
19/2	0.028
3	0.882
4	0.809
9	0.263
10	0.123
16/1	0.546
14	0.182
16/2	0.162
19/1	0.143
20/1	0.010
20/2	0.395
कुल रकबा . . . 11.916	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा.-14-अ-82-2015-16-4347.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—गोहपारू
(ग) ग्राम—सिलपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 11.811 हेक्टर सिलपारी भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
321	2.591
225	1.028
322/5	0.769
222	1.719
221/1	0.514
220	0.728
310	0.607
320	0.546
224	0.753
322/2	0.961
227/1	0.176
221/3	0.310
221/2	0.429
260	0.020
312	0.660
कुल रकबा . . . 11.811	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा.-15-अ-82-2015-16-4348.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—गोहपारू

- (ग) ग्राम—करीं
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 2.092 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
430/3	0.041
1118/1	0.201
1121	0.171
1109/2ख	0.051
905	0.040
1094	0.161
491	0.040
494	0.061
1090	0.081
1074/2	0.140
1082	0.101
974	0.031
933	0.040
845/1	0.030
917/1	0.080
431/1	0.010
846/1	0.090
1119	0.121
1110	0.140
847	0.030
489	0.021
497	0.020
1091	0.070
1056/1	0.040
1075	0.051
975/3	0.060
936	0.020
934/2	0.090
906/1	0.060
कुल रकबा . .	<u>2.092</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 16-अ-82-2015-16-4349.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—गोहपारू
(ग) ग्राम—हरहाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 1.598

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
10/2	0.086
13	0.331
17	0.182
18	0.186
19	0.194
20	0.324
24	0.105
25	0.190
कुल रकबा . .	<u>1.598</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
उमरिया, दिनांक 17 अक्टूबर 2016	33/2	0.491
क्र. 5765-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	86	1.020
अनुसूची	34	1.020
(1) भूमि का वर्णन—	35	0.680
(क) जिला—उमरिया	44	0.120
(ख) तहसील—बांधवगढ़	46/2	0.516
(ग) नगर/ग्राम—भनपुरा, पटवारी हल्का क्र. 40	49/2	0.202
(घ) लगभग (निजी भूमि)—55.717 हेक्टेयर.	47	1.520
खसरा	48/1	0.344
नंबर	50/1	0.344
(1)	56/1/क	0.376
29/1	75/1	0.143
45/1	120/1/क	0.100
132/1	48/2	0.883
162/1	56/1/ख	0.376
29/2	75/2	0.286
45/2	120/1/ख	0.200
132/2	50/2	0.688
30	56/1/ग	0.376
80	52	0.120
101	53	0.040
31	56/2	1.134
65	62	0.100
32	120/2	0.240
33/1/क	29/2	0.040
136/1/क	45/2	0.540
33/1/ख	132/2	0.639
33/1/ग	30	0.600
136/1/ग	80	0.963
	101	0.202
	31	0.080
	65	0.040
	32	0.160
	33/1/क	0.163
	136/1/क	0.441
	33/1/ख	0.163
	33/1/ग	0.164
	136/1/ग	0.441
	57/1	1.521
	151	1.384
	177	0.360
	57/2	0.081
	58	0.793
	60	0.160
	63	0.360
	155/2	1.800
	64	0.202
	66	0.200
	67	0.210
	68	0.420
	69	0.160

(1)	(2)	(1)	(2)
74	0.813	123/3	0.440
77	0.077	362/3	0.324
109	0.202	125	0.060
142	0.376	126	0.160
143	0.239	127	0.220
71	0.700	128	0.240
87	0.060	164	0.090
73	0.061	129/1	1.082
122	0.520	129/2	0.560
79	0.229	130	0.560
81	0.802	133	0.393
139	0.858	134/1	0.462
82	1.267	134/2	0.461
136/2	1.324	134/3	0.461
158	0.620	134/4	0.462
83	1.080	135/1	0.143
152	0.880	135/2	0.143
153	0.060	135/3	0.143
85	0.769	136/1/ख	0.441
92	0.140	138/1	0.231
93	0.180	138/2	0.178
95/1	0.420	140	0.991
95/2	0.260	141	0.368
112	0.100	145/2	0.409
114	0.280	145/3	0.409
116/2	0.060	146	1.091
117/1	0.030	160	0.150
117/2/क	0.020	175/1	0.365
117/2/ख	0.020	176	0.810
118/1	0.060	149	1.177
118/2	0.060	157	0.120
118/3	0.060	165	0.060
118/4	0.040	174/2	0.200
123/1	0.440	174/3	0.200
145/1	0.409	175/2	1.011
174/1	0.200	130	0.090
123/2/क	0.220	359/3	0.046
123/2/ख	0.220	359/4	0.072

(1)	(2)	(1)	(2)
359/5	0.107	291	0.096
377	0.101	494	0.130
378/1	0.125	336	0.144
378/659	0.110	335	0.080
381/3	0.135	330/1	0.072
382/2/क	0.036	330/2	0.072
382/2/ख	0.036	291/1	0.048
384	0.110	290/2/क	0.024
385	0.187	290/2/ख	0.024
376/1	0.082	योग . .	<u>1.249</u>
45/2	0.030		
44	0.178		
42	0.136		
41/1	0.096		
227/2	0.200		
228	0.063		
232/1	0.130		
232/2	0.130		
236/1	0.048		
236/2	0.048		
238	0.101		
	योग . .		<u>55.717</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—बांधवगढ़
(ग) नगर/ग्राम—जुनवानी, पटवारी हल्का क्र. 39
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.249 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
523	0.096
516	0.048
516/695	0.053
515	0.116
514	0.126
493	0.120

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—बांधवगढ़
(ग) नगर/ग्राम—कछारी, पटवारी हल्का क्र. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.012 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
85/1/क	0.037
85/1/ख	0.019
85/2/ख	0.018
85/2/क	0.037
86/1	0.035
86/2	0.071
87	0.173
78	0.092
76/1	0.149
76/2	0.149
23/2	0.164
25/406	0.068
योग . .	<u>1.012</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भनपुरा जलाशय योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्र. C-3974.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/3666 जबलपुर, दिनांक 1-08-2016 जहां तक उसका संबंध अनुक्रमांक 4 श्री दिलीप कुमार गुप्ता एवं अनुक्रमांक 6 श्री मुकेश कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से है'' को खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप एतद्वारा निरस्त किया जाता है, उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

Jabalpur, the 4th October 2016

No. 987-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on—Cyber Laws & Electronic Evidence** for the Judges of all cadres on 22-10-2016 & 23-10-2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a. m. on 22-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage

to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshops, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send only soft copies of atleast three article/presentation/research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy i e. mpsja@mphc.in atleast three days prior to the schedule of workshop.

No. 993-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop for District Judges** on 15-10-2016 & 16-10-2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 2.00 p. m. on 15-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.

8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshops, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.

Jabalpur, the 5th October 2016

No. 1000-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Foundation Course (Second Phase) for the directly appointed Additional District Judges** from the Bar from 17-10-2016 to 27-10-2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a. m. on 17-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall appear for the course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie.) during entire duration of the Course.
4. The participants shall bring alongwith them detailed synopsis of the work done by them after the First Phase Foundation Course in the Academy in their respective district headquarters.
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by mail at mpsja@mphc.in or by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.
6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No.

09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

8. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in

need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.

9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.

10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course free of charge, as per the rules of the Academy.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
MANOHAR MAMTANI Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2016

क्र. 1026-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.	नीमच	जबलपुर	जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर की हैसियत से श्री सुनील कुमार अवस्थी के स्थान पर.
2	श्री गौरी शंकर दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	ग्वालियर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर की हैसियत से.
3	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	उज्जैन	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर की हैसियत से श्री शैलेन्द्र शुक्ला के स्थान पर.
4	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, कटनी.	कटनी	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. E-1927-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 7 जून 2016 से 9 जून 2016 तक, तीन दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक एवं दिनांक 1 नवम्बर 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-3493-दो-2-29-2014.—श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 मई 2016 से 11 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. E-2899-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 189 दिवस (एक सौ नवासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/21-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त : 01-11-1987
प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र
न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम
का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-05-2016
3. नियुक्ति दिनांक से : लागू नहीं
दिनांक 09-03-1987 तक
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 01-11-1987 से : 28 वर्ष 06 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 29 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : निरंक
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 210 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 21 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 189 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/21-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. B-4720-दो-2-23-2014.—श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 21 मई 2016 से 2 जून 2016 तक, तेरह दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006

के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-4724-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2901-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्री आनन्द मोहन खरे, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेख में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस (दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1/2009/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

- श्री आनन्द मोहन खरे, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर का नियुक्ति दिनांक : 06-11-1985
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2016
- नियुक्ति दिनांक 06-11-1985 से : 01 वर्ष 04 माह
दिनांक 09-03-1987 तक : 03 दिन
कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष 03 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 21 दिन
कुल सेवा अवधि.

- कालम (3) में अंकित : $1 \times 15 = 15$ दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कालम (4) में अंकित : $28 = 14 \times 15 = 210$ दिन
अवधि हेतु समर्पण $1 \times 7 = 7$ दिन
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कुल अर्जित अवकाश : 232 दिन
समर्पण की पात्रता.
- घटाइये:—सेवा के दौरान : निरंक
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
- सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-2928-दो-2-45-2016.—श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2930-दो-2-28ए-2015.—श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 19 सितम्बर 2016 से दिनांक 24 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही

अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 25 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2932-दो-2-37-2014.—श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 19 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2936-दो-2-46-2016.—श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2014 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-2938-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 13 अक्टूबर 2016 से दिनांक 15 अक्टूबर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2940-दो-2-19-2013.—श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 4 अक्टूबर 2016 से दिनांक 7 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. एस. गौतम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र. B-4749-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 9 सितम्बर 2016 तक, चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 सितम्बर 2016 से दिनांक 12 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3668-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी का दिनांक 22 अगस्त 2016 से दिनांक 25 अगस्त 2016 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-3684-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 12 सितम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-2954-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2956-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा का दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 सितम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. E-3015-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से 7 अक्टूबर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-3018-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 26 सितम्बर 2016 से दिनांक 29 सितम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 सितम्बर के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. B-4757-दो-2-39-2011.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 16 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4036-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक दो दिन आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 12 सितम्बर 2016 की शाम से दिनांक 16 सितम्बर 2016 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4045-दो-2-36-2016.—श्री ए. सी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 15 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. सी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. सी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4051-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-3024-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. C-4064-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 19 अगस्त 2016 से दिनांक 1 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4066-दो-2-39-2011.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित कर के तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4068-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 9 सितम्बर 2016 से दिनांक 12 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4074-दो-2-34-2013.—श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 29 जुलाई 2016 से दिनांक 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. 889-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016- (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. 997-गोपनीय-2016-दो-2-21/63.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 727/गोपनीय/2016/दो-2-21/63, दिनांक 15 जुलाई, 2016 एवं क्रमांक 828/गोपनीय/2016/दो-2-21/63, दिनांक 10 अगस्त, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुये, उक्त आदेशों के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में पूर्व में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का पुनरीक्षित दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री वृन्दावन लाल झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.	07-04-2016	16-03-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
2	श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.	07-04-2016	07-04-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
3	श्री शिशिरकांत चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा.	11-04-2016	07-04-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
4	श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	20-04-2016	11-04-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	श्री राकेश कुमार सिंह, (सीनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	23-05-2016	20-04-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
6	श्री भागचंद मलैया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर.	-	24-05-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
7	श्री आलोक कुमार वर्मा (जूनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्यापुर.	01-07-2016	01-07-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
8	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ, इंदौर.	01-07-2016	01-07-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
9	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.	06-07-2016	01-07-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
10	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	01-08-2016	06-07-2016	तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. 998-गोपनीय-2016-दो-2-21/63.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चयन ग्रेड) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अभय कुमार (सक्सेना), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	01-08-2016	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक को पुनरीक्षित दिनांक से सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2016

क्र. 1030-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4)

में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री बृज किशोर श्रीवास्तव	शिवपुरी	उज्जैन	उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
2	श्री शैलेन्द्र शुक्ला प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	सिविल जिला, भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार दुबे के स्थान पर.
3	श्री अमर नाथ (केशरवानी)	गुना	सिंगरौली	सिंगरौली	सिविल जिला, सिंगरौली जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री व्ही.एल.झा के स्थान पर.
4	श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर	मण्डला	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिविल जिला, नरसिंहपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के स्थान पर.
5	श्री श्रीराम दिनकर	शिवपुरी	दमोह	दमोह	सिविल जिला, दमोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती अंजली पालो के स्थान पर.
6	श्री ऋतुराज बंसत कुमार	राजगढ़	शिवपुरी	शिवपुरी	सिविल जिला, शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बृज किशोर श्रीवास्तव के स्थान पर.
7	श्री महेश भदकारिया	श्योपुर	नीमच	नीमच	सिविल जिला, नीमच जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.

क्र. 1031-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 क्रमांक फा.1-2-90/इक्कीस-ब (एक),

दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21 /ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री राजेश कुमार गुप्ता	इंदौर	राजगढ़	राजगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ऋतुराज बंसत के रिक्त स्थान पर.	राजगढ़
2	श्री विजय कुमार पाण्डेय (सीनियर)	नसरुल्लागंज	मण्डला	मण्डला	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर के स्थान पर.	मण्डला
3	श्री अरूण कुमार वर्मा	भोपाल	शिवपुरी	शिवपुरी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री श्रीराम दिनकर के स्थान पर.	शिवपुरी
4	श्री अजय प्रकाश मिश्र	अनूपपुर	कटनी	कटनी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.	कटनी
5	श्री ओंकार नाथ	उज्जैन	गुना	गुना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अमर नाथ (केशरवानी) के स्थान पर.	गुना
6	श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत	रतलाम	श्योपुर	श्योपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.	श्योपुर
7	श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन	इटारसी	छतरपुर	छतरपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	छतरपुर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. 969-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा. 1-2-90/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21-ब (एक) 1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. शिव कुमार मिश्रा	भिण्ड	सागर	सागर	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर.	सागर
2	श्री योगेश कुमार गुप्ता	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	पीठासीन अधिकारी, विशेष, न्यायालय की हैसियत से डॉ. शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर.	भिण्ड
3	श्री विनोद कुमार	टीकमगढ़	मुरैना	मुरैना	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर.	मुरैना

क्र. 970-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से; उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. रमेश साहू	भोपाल	रायसेन	रायसेन	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय चन्द्रा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री सुरेश चन्द्र पाल	उमरिया	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—

(1) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016, दिनांक 20-09-2016, जहां तक इसका संबंध श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड का, भिण्ड से सागर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016, दिनांक 20-09-2016 जहां तक इसका संबंध श्री विनोद कुमार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से सीधी स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(3) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016, दिनांक 20-09-2016 जहां तक इसका संबंध श्री राजेश कुमार गुप्ता, तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर का, इंदौर से मुरैना स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. E-2903-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 30-08-2016 से दिनांक 03-09-2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 एवं 05-09-2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र.-सी-3897-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा

निर्देशित करता है कि डॉ. रमेश साहू, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त बरेली में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना रायसेन-बरेली श्रृंखला न्यायालय के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No.-C-3897-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Dr. Ramesh Sahu, Third Additional District and Sessions Judge, Raisen shall also hold sitting at Bareli in addition to his place of sitting for the period of 15 days in a month for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of earlier notifications issued in respect of Raisen-Bareli Link Court.

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्र.-सी-3947-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी, जिन्हें अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त सेंधवा में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपने घोषित कार्यस्थल, बड़वानी में ही

बैठक करेंगे. परिणामस्वरूप बड़वानी-सेंधवा श्रृंखला न्यायालय की बैठक में एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No.-C-3947-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Sammer Kulshreshtha, Second Additional District and Sessions Judge, Badwani, who was directed to hold sitting at Sendhwa in addition to his place of sitting for a period of 15 days in a month for holding Link Court, will hold sitting at Badwani only on all working days in a month. Consequently, the sitting of Badwani-Sendhwa Link Court is hereby discontinued.

No.-C-3949-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places:—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and designation
(1)	(2)	(3)
1	Bhopal	Smt. Savita Dubey, VII ASJ
2	Sehore	Shri. B. S. Bhadoriya, Special Judge under SC/ST (POA) Act.

जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र.-बी-4742-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा

निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक 2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No.-B-4742-III-6-4-72.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the Table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the Table:—

ADJ Cadre

S. No.	Places, where Link Courts is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berasia	Shri Bhupendra Kumar Singh, VIII ADJ, Bhopal.	2 weeks

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).

Jabalpur, the 23rd August 2016

No. A/3782—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officers of the court to deal with the cases relating to offences registered by Cyber and Hi-Technique crimes Police Station, Bhopal for the Zones specified in Column No. (3) for the Districts shown in Column No. (4) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name and Designation of Judicial Officers	Zone	Districts to which the jurisdiction of the Zonal Courts shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Upendra Kumar Singh XII ASJ, Bhopal.	Bhopal	Betul, Bhopal, Damoh, Harda, Hoshangabad, Raisen, Rajgarh, Sagar, Sehore and Vidisha.
2	Shri Anil Kumar Sohane, XI ASJ, Gwalior	Gwalior	Ashok Nagar, Bhind, Chhatarpur, Datia, Gwalior, Guna, Morena, Panna, Sheopurkala, Shivpuri and Tikamgarh.
3	Shri Padmesh Shah, XII ASJ, Indore	Indore	Alirajpur, Badwani, Burhanpur, Dhar, Dewas, Indore, Jhabua, Khandwa, Khargone (Mandleshwar), Mandsaur, Neemuch, Ratlam, Shajapur and Ujjain.
4	Smt. Asha Godha, VII ASJ, Jabalpur	Jabalpur	Anuppur, Balaghat, Chhindwara, Dindori, Jabalpur, Katni, Mandla, Narsinghpur, Rewa, Satna, Seoni, Shahdol, Sidhi, Singrauli and Umaria.

VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).